अपोलो पशु-चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

बनाम

राजस्थान राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् और अन्य

25 जुलाई, 2014

मुख्य न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा और न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) – धारा 15, 19 और 21 प्रथम अनुसूची [सपठित भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् विनियम, 2008 का विनियम 2(न) और भारतीय पशु-चिकित्सा (रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1992 का विनियम 2(ग) तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 11 और 19] – राजस्थान राज्य द्वारा दो महाविद्यालयों को पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिक्री पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए भारत संघ द्वारा अनुज्ञा अनुदत्त करने के अधीन रहते हुए, अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाना – राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान किया जाना – भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा समय-समय पर अनापत्ति प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाना – केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालयों के नाम प्रथम अनुसूची में सम्मिलित न करके पाठ्यक्रम को मान्यता न दिया जाना – चूंकि केन्द्रीय सरकार किसी विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था द्वारा दी गई पशु-चिकित्सा अर्हता को मान्यताप्राप्त अर्हता के रूप में घोषित करते हुए प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि करने के लिए सशक्त है, इसलिए उक्त महाविद्यालय धारा 2(ञ) के अंतर्गत पशु-चिकित्सा संस्थाएं नहीं हैं किंतु इन महाविद्यालयों से पहले ही उत्तीर्ण होकर गए छात्रों की अर्हता को मान्यता प्रदान करने के लिए इसे प्रथम अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निदेश जारी किया जाना उचित होगा ।

अपोलो पशु-चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर और महात्मा गांधी महाविद्यालय, भरतपुर राजस्थान में पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में स्नातक का पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले दो प्राइवेट महाविद्यालय हैं । उक्त महाविद्यालयों के बहुत से छात्रों ने भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् और केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (अब स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के रूप में ज्ञात) द्वारा संचालित पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की परीक्षा

उत्तीर्ण की है । जिन विद्यार्थियों ने उपर्युक्त दो महाविद्यालयों से यह परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्होंने राजस्थान राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् के पास नामांकन कराया है और फिलहाल राज्य में और प्राइवेट सेक्टर में व्यवसायरत डाक्टर हैं । बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जो उक्त महाविद्यालयों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं । राजस्थान राज्य द्वारा उपर्युक्त दोनों महाविद्यालय खोले जाने की अनुज्ञा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा संबद्ध मान्यता प्रदान करने के अधीन रहते हुए दी गई थी । उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक के पाठ्यक्रम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने समय-समय पर किए गए अनेक निरीक्षणों के पश्चात् उपर्युक्त दोनों महाविद्यालयों और इन महाविद्यालयों से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियों को मान्यता देने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की । बाद में, भारत सरकार ने तारीख 20 फरवरी, 2010 के आदेश द्वारा यह सूचित किया कि अपोलो पशु-चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों को मान्यता देना संभव नहीं पाया गया है । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा रजिस्ट्रार को केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के बारे में सूचित किया गया । राजस्थान राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् को भी अपने रजिस्टर से डाक्टरों के नाम हटाने के लिए कहा गया । अपोलो महाविद्यालय को और उक्त महाविद्यालय से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार करने वाले पूर्वोक्त आदेशों को उक्त महाविद्यालय के अनेक पूर्वछात्रों ने, जो व्यवसायरत डाक्टर हैं और जो उक्त महाविद्यालय से उत्तीर्ण हैं, तथा साथ ही उन छात्रों द्वारा जो अपोलो महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई । इसी प्रकार के आदेश महात्मा गांधी महाविद्यालय को मान्यता देने से इनकार करते हुए भी किए गए । उक्त महाविद्यालय के छात्रों ने, जिनमें पूर्वछात्र भी हैं, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम की पहली अनुसूची में महात्मा गांधी महाविद्यालय का नाम सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को समुचित अधिसूचना जारी करने का निदेश देने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर के समक्ष समावेदन किया । रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने महात्मा गांधी महाविद्यालय के पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक पाठ्यक्रम को मान्यता देने के लिए विचार न करने का विनिश्चय किया और इसके बारे में संबंधित प्राधिकारियों को सूचित किया । उक्त पत्र को भी उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका में चुनौती दी गई । पूर्वछात्रों

तथा अपोलो महाविद्यालय के छात्रों द्वारा फाइल की गई रिट याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई की गई और राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर द्वारा तारीख 17 नवम्बर, 2011 को एक सामान्य निर्णय द्वारा रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्/भारत संघ द्वारा अपोलो महाविद्यालय और उक्त महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुए छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार करने के लिए जारी किए गए आदेशों, पत्रों और अधिसूचनाओं को मान्य ठहराया । उपर्युक्त विनिश्चय का अनुसरण करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 23 दिसम्बर, 2011 के निर्णय द्वारा उन छात्रों द्वारा फाइल गई रिट याचिका खारिज कर दी गई जो महात्मा गांधी महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर गए थे । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 2(ङ), 2(ञ) और धारा 15 के संयुक्त वाचन से यह स्पष्ट होता है कि यदि भारत में पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) द्वारा, चाहे सीधे तौर पर स्वयं द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की डिग्री, डिप्लोमा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाते हैं, तो ऐसी पशु-चिकित्सा अर्हता की मान्यता आज्ञापक है । अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) से यह स्पष्ट है कि धारा 12 के अधीन परिषद् द्वारा गठित समिति न केवल पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) का अपितु ऐसे महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं, जहां पशु-चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, के भी निरीक्षण के लिए उस पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकती है । इसलिए वह महाविद्यालय और संस्था भी, जिसके माध्यम से पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री दी जाती है, पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा अर्हता की मान्यता के प्रयोजन के लिए अधिनियम की परिधि के अंतर्गत आते हैं । यद्यपि धारा 21 के शीर्षक से "मान्यता का वापस लिया जाना" दर्शित होता है और कोई भी यह कह सकता है कि यह बात विनिर्दिष्ट नहीं है कि पशु-चिकित्सा संस्था से संबद्ध महाविद्यालय या संस्था को केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किया जाना चाहिए, किंतु धारा 21 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 15 में केन्द्रीय सरकार को समुचित

अनुसूची (पहली अनुसूची) में यह घोषित करते हुए प्रविष्टि करने के लिए सशक्त किया गया है कि किसी पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) से संबद्ध किसी विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था के छात्रों को अनुदत्त की गई पशु-चिकित्सा अर्हता तब ही मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व अनुदत्त की जाए अथवा यह कि उक्त पशु-चिकित्सा अर्हता विश्वविद्यालय से संबद्ध उक्त महाविद्यालय या संस्था के संबंध में मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता तब ही होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाए । धारा 21 को इसके पार्श्व टिप्पण (शीर्षक) – "मान्यता का वापस लिया जाना" की बात को विचार में लाए बिना पूर्णतम अर्थ लगाया जाना चाहिए । पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम के उद्देश्य के कथन और प्रस्तावना की धारा 2(ङ), 2(ञ), धारा 15, 19 और 21 के साथ अर्थपूर्ण वाचन करने तथा विनियम, 1992 के विनियम 2(ग) के साथ पठित विनियम, 2008 के विनियम 2(ण) का उद्देश्यपरक अर्थान्वयन करने पर यह स्पष्ट है कि केवल वही पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, जो पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन की शिक्षा दे रहा है और जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री दी जाती है और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त है और पहली अनुसूची में दर्शाया गया है, पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक के पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए पात्र हैं । अतः, ऊपर चर्चा किए गए उपबंधों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक के पाठ्यक्रम की शिक्षा देने वाले किसी "पशु-चिकित्सा महाविद्यालय" के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची के अधीन केन्द्रीय सरकार से मान्यताप्राप्त करना आज्ञापक है । (पैरा 33, 35, 38, 39 और 43)

यह विवादग्रस्त नहीं है कि अपोलो महाविद्यालय में छात्रों को राजस्थान प्री-मेडीकल/राजस्थान प्री-वैटरीनरी (आरपीएम/आरपीवी) खुली प्रवेश परीक्षा के अनुसरण में दाखिला दिया गया था । उन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया और पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की । वे छात्र, जो अपोलो महाविद्यालय से पहले उत्तीर्ण होकर गए हैं, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की बुनियादी डिग्री के धारक हैं, जो कि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में प्रविष्ट मान्यताप्राप्त अर्हता है । यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि ऐसे बहुत से

छात्र जो पहले उत्तीर्ण होकर गए हैं, सरकारी या प्राइवेट सेवा में हैं । वह एकमात्र आधार जिस पर अपोलो महाविद्यालय के उन छात्रों को, जो पहले ही पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करके गए हैं, भिन्न समझा गया है यह है कि केन्द्रीय सरकार ने अपोलो महाविद्यालय को अधिसूचित नहीं किया है और तद्द्वारा इसे भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर संविधि द्वारा सम्यक् रूप से स्थापित विश्वविद्यालय है और यह परीक्षाओं का संचालन करने और पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री देने के लिए पूर्णतः सक्षम है । इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री को भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में ऐसी डिग्री के रूप में सम्मिलित किया गया है जो भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, जो कि संविधि द्वारा स्थापित सर्वोपरि व्यावसायिक निकाय है, द्वारा पूर्णतः मान्यताप्राप्त है और जिसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता देने का प्राधिकार है । न्यायालय की राय में, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित करके स्पष्ट गलती की है कि चूंकि छात्रों के पास पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की जो डिग्री है वह ऐसी नहीं है जिसे किसी मान्यताप्राप्त महाविद्यालय से अभिप्राप्त किया गया हो और इसे भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1992 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन और अन्य प्रयोजन के लिए एक विधिमान्य अर्हता समझा जा सके । महात्मा गांधी महाविद्यालय के छात्रों के संबंध में भी ऐसी ही स्थिति है । वास्तव में, निरीक्षण समिति द्वारा प्रत्येक बार अनुकूल रिपोर्ट दी गई और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने महाविद्यालय को छात्रों को दाखिला देने के लिए अनुज्ञात किया तथा केन्द्रीय सरकार को पहली अनुसूची में महाविद्यालय के नाम की प्रविष्टि करके संशोधन करने की सिफारिश की । जब इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर गए छात्रों ने महात्मा गांधी महाविद्यालय को पहली अनुसूची में सम्मिलित करते हुए समुचित अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निदेश देने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष समावेदन किया तो पशु-चिकित्सा परिषद् ने अपनी सिफारिश वापस ले ली । इस न्यायालय ने अपोलो महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर गए छात्रों के संबंध में जो मत व्यक्त किया है, वह उन छात्रों के बारे में भी समान रूप से लागू होता है जो महात्मा गांधी महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर गए हैं । वास्तव में, पश्चात्वर्ती गतिविधि से, जैसा कि

ऊपर उल्लेख किया गया है, यह दर्शित होता है कि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने केन्द्रीय सरकार से अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय को मान्यता देने के लिए पुनः सिफारिश की है और केन्द्रीय सरकार ने पहले ही कतिपय प्रश्न उठाए हैं । इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय का यह मत है कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ को उन छात्रों, जो पहले ही केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से संबद्ध अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर गए हैं, के संबंध में केन्द्रीय सरकार को भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में अपोलो महाविद्यालय के संबंध में तारीख 11 जुलाई, 2011 को या इससे पूर्व और महात्मा गांधी महाविद्यालय की बाबत तारीख 8 दिसम्बर, 2011 या इससे पूर्व की पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री की मान्यता के प्रयोजन के लिए समुचित संशोधन करने का निदेश देते हुए एक संभव विधिक हल देना चाहिए था ताकि अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय को पहली अनुसूची में सम्मिलित किया जा सके । यह न्यायालय तद्नुसार निदेश देता है । जहां तक उन अन्य छात्रों का संबंध है, जो अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय में दाखिल किए गए हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, केन्द्रीय सरकार को निदेश दिया जाता है कि वह भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् से एक नई रिपोर्ट मंगाए और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 21(4) के साथ पठित धारा 15(2) के अधीन समुचित आदेश पारित करे । यदि अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय को उस तारीख से परे, जैसा कि ऊपर आदेश किया गया है, मान्यता देना संभव नहीं है तो भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् को निदेश दिया जाता है कि वह छात्रों को पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए उनके संगत वर्ष के हिसाब से किन्हीं अन्य मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों में स्थानांतरित करें । पूर्वोक्त कारणों से, यह न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर की खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 17 नवम्बर, 2011 को पारित किए गए निर्णय और आदेश तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 23 दिसम्बर, 2011 को पारित किए गए निर्णय और आदेश तथा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् को उनके रजिस्टर से डाक्टरों के नामों को हटाने का निदेश देते हुए जारी किए गए पत्रों को अपास्त करता है । (पैरा 45, 46, 47, 48, 49 और 50)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2014 की सिविल अपील सं. 6842. (इसके साथ 2014 की सिविल अपील सं. 6851, 6852, 6853, 6854, 6857, 6844-45, 6855 और 6856 की भी सुनवाई की गई ।)

2011 की सिविल रिट याचिका सं. 2635 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर स्थित जयपुर न्यायपीठ की खंड न्यायपीठ के तारीख 17 नवम्बर, 2011 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से

सर्वश्री पारस कुहाड, अपर महा-सालिसिटर, के. वी. विश्वनाथन्, आर. एफ. नरीमन, (सुश्री) इंदु मल्होत्रा, डा. राजीव धवन, हरीन पी. रावल, डा. मनीष सिंघवी, अपर महाधिवक्ता, कुश चतुर्वेदी, विवेक जैन (मैसर्स महालक्ष्मी बालाजी एंड कं.), (सुश्री) नम्रता सूद, निशता कुमार, विकास मेहता, अजय शर्मा, राजीव शर्मा, (सुश्री) नीलम शर्मा, गगन गुप्ता, राम निवास, निखिलेश रामचंद्रन्, भरत भूषण, (सुश्री) मधु मूलचंदानी, जितिन चतुर्वेदी, अमन आहलूवालिया, आर. नादुमरन, बलदेव अत्रेय, (सुश्री) ऋचा पांडे (डी. एस. मेहरा की ओर से), आशीष गर्ग, आफताब अली खान, नवीन प्रकाश, तुंगेश, (सुश्री) कामिनी जायसवाल, रोहित कुमार सिंह, सुमीत शर्मा, (सुश्री) रुचि कोहली, इरहाद अहमद, सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन, (सुश्री) श्रृष्टि जैन और सूर्यनारायण (सुश्री) प्रगति नीखारा की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय ने दिया ।

न्या. मुखोपाध्याय – इजाजत दी गई ।

2. क्योंकि इन सभी अपीलों में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के अधीन पशु-चिकित्सा महाविद्यालय (महाविद्यालयों) की मान्यता से संबंधित एक जैसे विवाद्यक अंतर्वलित हैं, इसलिए इनकी एकसाथ सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया जाता है ।

3. अपोलो पशु-चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर (जिसे संक्षेप में "अपोलो महाविद्यालय" कहा गया है) और महात्मा गांधी महाविद्यालय, भरतपुर (जिसे संक्षेप में "महात्मा गांधी महाविद्यालय" कहा गया है) राजस्थान में पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में स्नातक का पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले दो प्राइवेट महाविद्यालय हैं । उक्त महाविद्यालयों के बहुत से छात्रों ने भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् और केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (अब स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के रूप में ज्ञात) द्वारा संचालित पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है । जिन विद्यार्थियों ने उपर्युक्त दो महाविद्यालयों से यह परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्होंने राजस्थान राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् के पास नामांकन कराया है और फिलहाल राज्य में और प्राइवेट सेक्टर में व्यवसायरत डाक्टर हैं । बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जो उक्त महाविद्यालयों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ।

4. राजस्थान राज्य द्वारा उपर्युक्त दोनों महाविद्यालय खोले जाने की अनुज्ञा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा संबद्ध मान्यता प्रदान करने के अधीन रहते हुए दी गई थी । उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक के पाठ्यक्रम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (जिसे संक्षेप में "कृषि विश्वविद्यालय" कहा गया है) से संबद्ध है । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने समय-समय पर किए गए अनेक निरीक्षणों के पश्चात् उपर्युक्त दोनों महाविद्यालयों और इन महाविद्यालयों से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियों को मान्यता देने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की । बाद में, भारत सरकार ने तारीख 20 फरवरी, 2010 के आदेश द्वारा यह सूचित किया कि "अपोलो पशु-चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों को मान्यता देना संभव नहीं पाया गया है" । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा तारीख 22 फरवरी, 2010 के पत्र द्वारा रजिस्ट्रार को केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के बारे में सूचित किया गया । राजस्थान

राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् को भी अपने रजिस्टर से डाक्टरों के नाम हटाने के लिए कहा गया । अपोलो महाविद्यालय को और उक्त महाविद्यालय से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार करने वाले पूर्वोक्त आदेशों को उक्त महाविद्यालय के अनेक पूर्वछात्रों ने, जो व्यवसायरत डाक्टर हैं और जो उक्त महाविद्यालय से उत्तीर्ण हैं, तथा साथ ही उन छात्रों द्वारा जो अपोलो महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, चुनौती दी गई ।

5. इसी प्रकार के आदेश महात्मा गांधी महाविद्यालय को मान्यता देने से इनकार करते हुए भी किए गए । उक्त महाविद्यालय के छात्रों ने, जिनमें पूर्वछात्र भी हैं, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम की पहली अनुसूची में तद्द्वारा महात्मा गांधी महाविद्यालय का नाम सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को समुचित अधिसूचना जारी करने का निदेश देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष समावेदन किया । रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 8 दिसम्बर, 2011 के पत्र द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, महात्मा गांधी महाविद्यालय के पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक पाठ्यक्रम को मान्यता देने के लिए विचार न करने का विनिश्चय किया और इसके बारे में संबंधित प्राधिकारियों को सूचित किया । उक्त पत्र को भी उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका में चुनौती दी गई ।

6. पूर्वछात्रों तथा अपोलो महाविद्यालय के छात्रों द्वारा फाइल की गई रिट याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई की गई और राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर द्वारा तारीख 17 नवम्बर, 2011 को एक सामान्य निर्णय द्वारा रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्/भारत संघ द्वारा अपोलो महाविद्यालय और उक्त महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुए छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार करने के लिए जारी किए गए आदेशों, पत्रों और अधिसूचनाओं को मान्य ठहराया । उपर्युक्त विनिश्चय का अनुसरण करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 23 दिसम्बर, 2011 के निर्णय द्वारा उन छात्रों द्वारा फाइल गई रिट याचिका खारिज कर दी गई जो महात्मा गांधी महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर गए थे ।

7. उपर्युक्त प्रश्न का विनिश्चय करने से पूर्व, अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय से संबंधित मामले की सुसंगत तथ्यात्मक

पृष्ठभूमि पर विस्तार से विचार करना आवश्यक है ।

8. **अपोलो महाविद्यालय**

राजस्थान सरकार ने तारीख 10 अगस्त, 1998 को अपोलो पशु-चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को 50 सीटों के साथ पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में स्नातक पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारत संघ/भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुज्ञा प्रदान करने के अधीन रहते हुए अनापत्ति प्रमाणपत्र अनुदत्त किया ; राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में प्रथम वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए तारीख 6 नवम्बर, 2000 को संबद्धता अनुदत्त की और बाद में पश्चात्वर्ती शैक्षणिक वर्षों के लिए संबद्धता दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई ।

9. भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् की निरीक्षण समिति ने समय-समय पर अपोलो महाविद्यालय का निरीक्षण किया । निरीक्षण रिपोर्ट, 2003 द्वारा समिति ने यह रिपोर्ट दी कि महाविद्यालय में सुविधाएं और कर्मचारिवृंद, भवन की कतिपय कमियों के सिवाय, पर्याप्त प्रतीत होता है क्योंकि महाविद्यालय एक किराए के भवन में खोला गया था । केन्द्रीय सरकार ने तारीख 26 सितम्बर, 2003 के पत्र द्वारा कृषि विश्वविद्यालय को सूचित किया कि अपोलो अस्पताल से अनुरोध किया जाए कि न्यूनतम अपेक्षाएं पूर्ण की जाएं । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 13 अगस्त, 2004 को कृषि विश्वविद्यालय को सूचित किया कि परिषद् के पास उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अपोलो महाविद्यालय मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हताएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कृषि विश्वविद्यालय का एक घटक महाविद्यालय नहीं है । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 2 फरवरी, 2005 के अपने पत्र द्वारा राजस्थान सरकार और कृषि विश्वविद्यालय को सूचित किया कि अपोलो महाविद्यालय में दाखिले रोक दिए जाएं क्योंकि इसे ऐसी मान्यता के प्रयोजन के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम की पहली अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा तारीख 12 मई, 2005 और 20 मई, 2005 को इंडियन एक्सप्रेस के जयपुर प्रकाशनों और राजस्थान पत्रिका में यह सूचित करते हुए लोक सूचनाएं भी जारी की गईं कि अपोलो महाविद्यालय के छात्रों की पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में स्नातक की अर्हता पशु-चिकित्सा की मान्यताप्राप्त अर्हता नहीं है ।

10. उसके पश्चात् भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 21 नवम्बर, 2005 को अपोलो महाविद्यालय में छात्रों के दाखिले के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त संबद्धता में विस्तार के अध्यधीन रहते हुए, प्रदान किया । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसरण में कृषि विश्वविद्यालय ने तारीख 26 नवम्बर, 2005 के पत्र द्वारा अपोलो महाविद्यालय को छात्रों के दाखिले के लिए अनुज्ञा प्रदान की ।

11. अपीलार्थियों के अनुसार, उन्होंने राजस्थान प्री-मेडिकल/राजस्थान प्री-वैटरीनरी (आरपीएम/आरपीवी) खुली प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था और उन्हें पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक के लिए अपोलो महाविद्यालय आबंटित किया गया था । बाद में, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् के निरीक्षकों द्वारा तारीख 22-24 जनवरी, 2007 को अपोलो महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया और उन्होंने यह उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपोलो महाविद्यालय अवसंरचना आदि के संबंध में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् के सन्नियमों का पालन कर रहा है और यहां जनशक्ति तथा उपस्करों के साथ-साथ टीवीसीसी, पशु फार्म और प्रयोगात्मक पशु सुविधाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । तथापि, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा तारीख 10 अप्रैल, 2007 को जनसाधारण को सूचित करते हुए एक लोक सूचना जारी की गई कि अपोलो महाविद्यालय ने यह भ्रामक और गलत जानकारी प्रकाशित की है कि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा महाविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई है और इसलिए जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा इस महाविद्यालय की बाबत अर्हता की मान्यता के विषय पर अपेक्षा पूर्ण होने पर ही विचार किया जाएगा और परिषद् ने उक्त महाविद्यालय की पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की अर्हता को मान्यता नहीं दी है ।

12. भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् के एक अन्य दल ने तारीख 22-23 नवम्बर, 2007 को अपोलो महाविद्यालय का निरीक्षण किया और यह रिपोर्ट दी कि इसमें उल्लिखित कमियों को देखते हुए विश्वविद्यालय की अर्हता को महाविद्यालय की बाबत इस समय मान्यता देने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, जब कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् के प्रतिनिधियों की बैठक हुई तो उन्होंने तारीख 2 फरवरी, 2008 की अपनी कार्यवाही में यह अभिलिखित किया कि

विश्वविद्यालय आश्वस्त है कि अपोलो महाविद्यालय के प्रथम बैच के छात्रों की बाबत भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् के विनियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक/हाजिरी संबंधी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं और उसके पश्चात् भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 10 मार्च, 2008 को अपोलो महाविद्यालय के प्रथम बैच के छात्रों की बाबत, जिन्होंने पांच वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण किया था, पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की डिग्री को अनंतिम मान्यता प्रदान की । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 27 फरवरी, 2009 को कृषि विश्वविद्यालय को सूचित किया कि उसने केन्द्रीय सरकार को अपोलो महाविद्यालय के वर्ष 2004 में दाखिला लेने वाले छात्रों के द्वितीय बैच की अर्हता को मान्यता देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया है । इसके पश्चात् तारीख 24 जुलाई, 2009 को एक पत्र भेजा गया जिसके द्वारा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने कृषि विश्वविद्यालय को सूचित किया कि उसने दिसम्बर, 2004 में दाखिला लेने वाले छात्रों अर्थात् छात्रों के तृतीय बैच की अर्हता को मान्यता देने के लिए भारत संघ को सिफारिश करने का विनिश्चय किया है । तारीख 24 जुलाई, 2009 को भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने भी कृषि विश्वविद्यालय को सूचित किया कि अपोलो महाविद्यालय वर्ष 2009-2010 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों का दाखिला कर सकता है । इसी बीच, कृषि विश्वविद्यालय ने तारीख 3 सितम्बर, 2009 के अपने पत्र द्वारा अपोलो महाविद्यालय को सत्र 2007-2008 और 2008-2009 के लिए संबद्धता प्रदान कर दी । तत्पश्चात्, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति (बलरामन समिति) ने तारीख 16 नवम्बर, 2009 को यह सिफारिश की कि पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक पाठ्यक्रम में 55 संकाय सदस्य पर्याप्त हैं । केन्द्रीय सरकार ने पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय की मार्फत तारीख 20 फरवरी, 2010 को आक्षेपित आदेश द्वारा अपोलो महाविद्यालय द्वारा दी गई डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने से इनकार कर दिया ।

13. भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए तारीख 20 फरवरी, 2010 के आदेश को निर्दिष्ट करते हुए तारीख 22 फरवरी, 2010 के आदेश द्वारा रजिस्ट्रार, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को निदेशित किया कि अब इसके पश्चात् अपोलो महाविद्यालय में पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में छात्रों का

दाखिला न किया जाए । तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने तारीख 22 मार्च, 2010 के पत्र द्वारा अपने पूर्ववर्ती आदेश में निम्नलिखित संशोधन जारी किया :–

1.	के स्थान पर	पढ़े
	अपोलो पशु-चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर द्वारा दी गई डिग्री को मान्यता प्रदान करना संभव नहीं पाया गया है ।	अपोलो पशु-चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को दी गई डिग्री को मान्यता प्रदान करना संभव नहीं पाया गया है ।

14. रजिस्ट्रार, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के ध्यान में उपुर्यक्त संशोधन भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा तारीख 20 अप्रैल, 2010 के पत्र द्वारा लाया गया । इसके बाद तारीख 29 अप्रैल, 2010 को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची को निम्नलिखित रीति में संशोधित किया :–

"उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में 'डिग्रियों' उप-शीर्षक के अधीन,–

(i) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित क्रम संख्यांक 33 के सामने, कॉलम 3 में, 'पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन स्नातक' अक्षरों के अधीन निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर जोड़े जाएंगे –

यह अर्हता केवल तब यथापूर्वोक्त मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता होगी जब तारीख 10 सितम्बर, 2009 या इससे पूर्व प्रदान की गई हो ।

(ii) क्रम संख्यांक 73 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़े जाएंगे, अर्थात् –

1.	2.	3.
74. पशु-चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर की बाबत स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक	पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक (यह अर्हता यथापूर्वोक्त अर्हता केवल तब होगी जब तारीख 11 सितम्बर, 2009 या इसके पश्चात् प्रदान की गई हो) ।"

आक्षेपित आदेशों और अधिसूचनाओं के जारी होने के पश्चात् घटित उद्घटनाएं :

15. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर और महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की पशु-चिकित्सा और पशु विज्ञान प्रभाग की इकाइयों की कांट-छांट करके तारीख 13 मई, 2010 को राजस्थान पशु-चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया । रजिस्ट्रार, राजस्थान पशु-चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ने तारीख 19 अगस्त, 2010 के पत्र द्वारा अपोलो महाविद्यालय में छात्रों के दाखिलों को निर्दिष्ट करते हुए सचिव, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन, भारत सरकार, नई दिल्ली को यह सूचित किया कि विश्वविद्यालय ने तारीख 27 जुलाई, 2010 को अपोलो महाविद्यालय का अस्तित्व निरीक्षण किया और निरीक्षण के आधार पर विश्वविद्यालय ने वर्ष 2010-2011 के लिए संबद्धता और सत्र 2009-2010 के लिए कार्योत्तर संबद्धता प्रदान की है । यह भी सूचित किया गया कि निरीक्षण दल की रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि अपोलो महाविद्यालय में छात्रों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् के सन्नियमों के अनुसार पर्याप्त हैं और प्राधिकारियों से तारीख 20 फरवरी, 2010 के पूर्ववर्ती आदेश का पुनर्विलोकन करने और अपीलार्थी को भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया जाता है ।

16. भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् के श्री एन. के. भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक दल ने तारीख 22 नवम्बर, 2010 और 24 नवम्बर, 2010 के बीच अपोलो महाविद्यालय का पुनःनिरीक्षण किया । भट्टाचार्य समिति ने अपनी रिपोर्ट द्वारा यह सूचित किया कि पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक और प्रायोगिक शिक्षण के

लिए सभी शिक्षण शाखाओं में समग्र सुविधाएं समाधानप्रद पाई गई हैं तथा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् विनियम, 2008 के अनुसार उक्त पाठ्यक्रम चलाने के लिए न्यूनतम मानक बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं ।

17. केन्द्रीय सरकार द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 के पत्र द्वारा राजस्थान पशु-चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को सूचित किया गया कि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा तारीख 22 से 24 नवम्बर, 2010 के दौरान अपोलो महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया था और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् से सिफारिश प्रतीक्षित है । केन्द्रीय सरकार द्वारा तारीख 24 मार्च, 2011 को भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् को तारीख 22 और 24 नवम्बर, 2010 के बीच किए गए निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिश भेजने का अनुरोध किया गया । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 29 मार्च, 2011 के पत्र द्वारा राजस्थान राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् को सूचित किया कि उसने केन्द्रीय सरकार को राज्य विश्वविद्यालय द्वारा अपोलो महाविद्यालय के छात्रों को दी गई डिग्रियों की मान्यता के लिए सिफारिश की थी किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् की कार्यपालक समिति ने तारीख 30 मार्च, 2011 को अपोलो महाविद्यालय की शैक्षणिक वर्ष 2009 तक दाखिल किए गए पहले तीन बैचों की अर्हता की मान्यता के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करने का विनिश्चय किया । केन्द्रीय सरकार ने तारीख 6 जुलाई, 2011 के पत्र द्वारा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् को निरीक्षण दल द्वारा बताई गई कमियों को ध्यान में रखते हुए अपोलो महाविद्यालय की मान्यता के मामले का पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किया । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् की कार्यपालक समिति ने अपोलो महाविद्यालय की बाबत अर्हता की मान्यता के लिए प्रस्ताव पर विचार किया और तारीख 11 जुलाई, 2011 के पत्र द्वारा केन्द्रीय सरकार को अर्हता की मान्यता के लिए सिफारिश की ।

18. **महात्मा गांधी महाविद्यालय**

पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार ने तारीख 24 मई, 2005 को श्रीमती उर्मिला देवी मंगैया प्रोपकारी ट्रस्ट को पशु-चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया था । राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ने तारीख 28 जून, 2005 को महाविद्यालय को सशर्त संबद्ध किया और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद,/भारत सरकार से अनुज्ञा प्राप्त होने पर दाखिला शुरू करने के लिए अनुज्ञात किया । भारतीय

पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 9 नवम्बर, 2005 को पशु-चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए अनापत्ति जारी की ।

19. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ने तारीख 26 नवम्बर, 2005 को महाविद्यालय में दाखिले मंजूर करने के लिए अधिसूचना जारी की । इस बीच विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर संबद्धता में विस्तार किया गया । राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 12 अक्तूबर, 2010 को भारत सरकार को राजस्थान पशु-चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम की धारा 15(2) के अनुसार संबद्ध महात्मा गांधी पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर द्वारा पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की मान्यता के बारे में सूचित किया ।

20. भारत सरकार को तारीख 26 अक्तूबर, 2010 को एक स्मरण-पत्र जारी किया गया । सचिव, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 4 फरवरी, 2011 को महात्मा गांधी पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर द्वारा चलाए गए पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए सिफारिश की और यह सूचित किया गया कि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् महाविद्यालय को मान्यता देती है । सचिव, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 29 मार्च, 2011 को रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् को सूचित किया कि यद्यपि परिषद् ने केन्द्रीय सरकार को महात्मा गांधी पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर की बाबत अर्हता की मान्यता के लिए सिफारिश की है और दो महाविद्यालयों अर्थात् अपोलो पशु-चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर तथा महात्मा गांधी पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर को पहली अनुसूची में सम्मिलित करते हुए अधिसूचना अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जानी है ।

21. राजस्थान सरकार ने अप्रैल, 2011 में विधान सभा में महात्मा गांधी पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर का नाम मान्यताप्राप्त महाविद्यालय के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव रखा । तारीख 28 अप्रैल, 2011 को सचिव, पशु-चिकित्सा ने सचिव, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग को सूचित किया कि महात्मा गांधी पशु-चिकित्सा परिषद्, भरतपुर ने शेष कमियों को पूरा कर लिया है । अपीलार्थियों में से कुछ द्वारा स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने और उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसरण में पशु-चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु

अनुज्ञात करने के लिए प्रत्यर्थियों को निदेश देने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की रिट याचिका फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात करते हुए तारीख 30 मई, 2011 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया ।

22. भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने महात्मा गांधी पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर द्वारा प्रस्तुत किए गए पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए सिफारिश न करने का विनिश्चय करते हुए तारीख 8 दिसम्बर, 2011 को पत्र जारी किया, क्योंकि महाविद्यालय पशु-चिकित्सा के डिग्री पाठ्यक्रम के न्यूनतम मानक को पूर्ण नहीं करता है । उच्च न्यायालय ने तारीख 23 दिसम्बर, 2011 को 2011 की रिट याचिका सं. 4690 अपोलो महाविद्यालय वाले मामले में खंड न्यायपीठ के तारीख 17 नवम्बर, 2011 के निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए खारिज कर दी ।

23. इन अपीलों में अंतर्वलित प्रश्न निम्नलिखित हैं :–

(i) क्या किसी 'पशु-चिकित्सा महाविद्यालय' के लिए पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची के अधीन मान्यता दिया जाना आज्ञापक है ; और

(ii) ऐसे छात्रों के मामले में क्या संभव विधिक हल होना चाहिए जो पहले ही महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होकर गए हैं, यह स्पष्ट प्रश्न नहीं है ।

24. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अधिसूचनाओं के साथ-साथ आक्षेपित निर्णय को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है :–

(i) राज्य में किसी पशु-चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान को मान्यता देने में केन्द्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है ।

(ii) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 21(4) में किसी महाविद्यालय से संबंधित चिकित्सा डिग्री की मान्यता वापस लेने या मान्यता देने का कोई उल्लेख नहीं है । जब एक बार

किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री को मान्यता दे दी जाती है तो महाविद्यालय की मान्यता का कोई प्रश्न नहीं है ।

(iii) केन्द्रीय सरकार या परिषद् का नियंत्रण सभी संगठन में एक समान नहीं है । उदाहरण के लिए, भारतीय चिकित्सा परिषद् का चिकित्सा महाविद्यालयों पर नियंत्रण भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् का पशु-चिकित्सा महाविद्यालयों पर नियंत्रण से भिन्न है ।

25. दूसरी ओर, भारत के महासालिसिटर के अनुसार, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 21(4) में केन्द्रीय सरकार को किसी महाविद्यालय द्वारा दी गई किसी डिग्री को मान्यता देने या मान्यता वापस लेने के लिए सशक्त किया गया है । पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की शिक्षा देने वाले महाविद्यालय के लिए यह आज्ञापक है कि केन्द्रीय सरकार से भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची के अधीन मान्यता प्राप्त करे और ऐसे महाविद्यालयों से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् के पास अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

26. इन अपीलों में अंतर्वलित मुख्य विवाद्यक का अवधारण करने के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के सुसंगत उपबंधों, तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों तथा संबंधित सुसंगत तथ्यों को निर्दिष्ट करना वांछनीय है ।

27. उक्त अधिनियम पशु-चिकित्सा व्यवसाय को नियंत्रित और विनियमित करने तथा उस प्रयोजन के लिए एक भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् और राज्य पशु-चिकित्सा परिषदों की स्थापना के लिए उपबंध करने तथा पशु-चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर बनाए रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ।

मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता और संस्थान

28. धारा 2 (ङ) में "मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता" को परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित रूप में है :–

"'मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता' से अभिप्रेत पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में सम्मिलित पशु-चिकित्सा अर्हता है ।"

29. जबकि धारा 2 (ञ) में "पशु-चिकित्सा संस्था" को परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित रूप में है :–

"'पशु-चिकित्सा संस्था' से भारत में या भारत के बाहर ऐसा कोई विश्वविद्यालय या अन्य संस्था अभिप्रेत है जो पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में डिग्रियां, डिप्लोमें या अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करता है ।"

30. राजस्थान पशु-चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में डिग्रियां अनुदत्त करता है और धारा 2(ञ) – 'पशु-चिकित्सा संस्था' के अर्थांतर्गत आता है ।

31. अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में शिक्षा देता है । ये दोनों महाविद्यालय कोई डिग्री अनुदत्त नहीं करते हैं और तद्द्वारा उपर्युक्त महाविद्यालय धारा 2(ञ) – 'पशु-चिकित्सा संस्था' के अर्थांतर्गत नहीं आते हैं ।

32. अधिनियम की धारा 15 भारत में पशु-चिकित्सा संस्थाओं (विश्वविद्यालयों) द्वारा अनुदत्त 'पशु-चिकित्सा अर्हताओं' की मान्यता के संबंध में है, जिसे इसमें नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"15. भारत में पशु-चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता – (1) भारत की किसी पशु-चिकित्सा संस्था द्वारा अनुदत्त ऐसी पशु-चिकित्सा अर्हताएं जो पहली अनुसूची में सम्मिलित हैं इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हताएं होंगी ।

(2) भारत में की कोई पशु-चिकित्सा संस्था, जो ऐसी पशु-चिकित्सा अर्हता अनुदत्त करती है पहली अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसी अर्हता को मान्यताप्राप्त कराने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची में संशोधन कर सकेगी, जिससे ऐसी अर्हता को उसमें सम्मिलित किया जा सके और ऐसी किसी अधिसूचना में यह निदेश भी दिया जा सकेगा कि पहली अनुसूची के अंतिम स्तंभ में ऐसी पशु-चिकित्सा अर्हता के सामने यह घोषणा करने वाली प्रविष्टि की जाएगी कि यह मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता केवल तब होगी जब उसे विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त किया जाए ।"

उपरोक्त उपबंध से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के अधिनियमित होने की तारीख से ही, भारत में पशु-चिकित्सा संस्थाओं (विश्वविद्यालयों) द्वारा

अनुदत्त केवल ऐसी पशु-चिकित्सा अर्हताएं, जो पहली अनुसूची में सम्मिलित हैं, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हताएं हैं । किसी अन्य पशु-चिकित्सा अर्हता को सम्मिलित करने के लिए, भारत में पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) के लिए यह अपेक्षित है कि वह केन्द्रीय सरकार को ऐसी अर्हता की मान्यता के लिए अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करे । ऐसी स्थिति में, केन्द्रीय सरकार भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् से परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची में संशोधन कर सकेगी जिससे ऐसी अर्हता को उसमें सम्मिलित किया जा सके ।

33. धारा 2 (ङ), 2(ञ) और धारा 15 के संयुक्त वाचन से यह स्पष्ट होता है कि यदि भारत में पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) द्वारा, चाहे सीधे तौर पर स्वयं द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की डिग्री, डिप्लोमा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाते हैं, तो ऐसी पशु-चिकित्सा अर्हता की मान्यता आज्ञापक है ।

34. **"पशु-चिकित्सा महाविद्यालय" और "मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा महाविद्यालय"**

'पशु-चिकित्सा महाविद्यालय' को भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्-पशु-चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रम (पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक) विनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनियम, 2008 कहा गया है) की धारा 2(ण) में परिभाषित किया गया है और यह निम्नलिखित रूप में है :–

> *"'पशु-चिकित्सा महाविद्यालय' से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री देने के लिए पशु-चिकित्सा शिक्षा दे रही है और उसके पास संकायाध्यक्ष/प्रधानाचार्य के संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इन विनियमों में यथा अधिकथित अपेक्षित संख्या में विभाग/इकाई, अवसंरचना, जनशक्ति और अन्य सुविधाएं हैं ।"

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

"'Veterinary College' means an institution imparting veterinary education for the award of B.V.Sc. & A.H. degree having the required number of department/units, infrastructure, manpower and other facilities as laid down in these Regulations under the overall administrative control of the Dean/Principal."

'भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1992' (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनियम, 1992 कहा गया है) की धारा 2(ग) में "मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा महाविद्यालय" को परिभाषित किया गया है और यह निम्नलिखित रूप में है :–

> *"'मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा महाविद्यालय' से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त कोई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय अभिप्रेत है ।"

इस प्रकार, पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री देने के लिए शिक्षा दे रहे केवल वे महाविद्यालय मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा महाविद्यालय कहे जा सकते हैं, जिनके पास विनियम, 2008 के अनुसार अपेक्षित संख्या में विभाग/इकाई, अवसंरचना, जनशक्ति और अन्य सुविधाएं हैं और किसी पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) से संबद्ध और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हैं ।

35. **विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/संस्था का निरीक्षण**

अधिनियम की धारा 29 निम्नलिखित है :–

> "19. पशु-चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण और परीक्षाएं – (1) धारा 12 के अधीन गठित समिति, परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए किसी पशु-चिकित्सा संस्था या किसी महाविद्यालय या अन्य संस्था के, जहां पशु-चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, निरीक्षण के लिए या उस पशु-चिकित्सा संस्था द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा में उपस्थित रहने के लिए किसी पशु-चिकित्सा संस्था द्वारा अनुदत्त की जाने वाली पशु-चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करने के प्रयोजन से उतनी संख्या में, जितनी वह अपेक्षित समझे, पशु-चिकित्सा निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी ।
>
> (2) पशु-चिकित्सा निरीक्षक किसी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे किंतु पशु-चिकित्सा के स्तरों की, जिनके

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

> 'Recognised Veterinary College' means a Veterinary College affiliated to a University and recognized by Veterinary Council of India."

अंतर्गत कर्मचारिवृंद, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण तथा पशु-चिकित्सा देने के लिए विनियमों द्वारा विहित अन्य सुविधाएं भी हैं, पर्याप्तता पर अथवा प्रत्येक परीक्षा की, जिसमें वे उपस्थित रहें, पर्याप्तता पर समिति को रिपोर्ट देंगे ।

(3) समिति ऐसी किसी रिपोर्ट की प्रति संबंधित पशु-चिकित्सा संस्था को भेजेगी और उस पर उक्त संस्था के टिप्पणों सहित, यदि कोई हों, की प्रति केन्द्रीय सरकार को भी भेजेगी ।"

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) से यह स्पष्ट है कि धारा 12 के अधीन परिषद् द्वारा गठित समिति न केवल पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) का अपितु ऐसे महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं, जहां पशु-चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, के भी निरीक्षण के लिए उस पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकती है । इसलिए वह महाविद्यालय और संस्था भी, जिसके माध्यम से पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री दी जाती है, पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा अर्हता की मान्यता के प्रयोजन के लिए अधिनियम की परिधि के अंतर्गत आते हैं ।

36. अधिनियम की धारा 21 निम्नलिखित है :–

"21. मान्यता का वापस लिया जाना – (1) जब समिति या परिदर्शक की रिपोर्ट पर परिषद् को यह प्रतीत होता है कि –

(क) किसी पशु-चिकित्सा संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुरूप नहीं है या उसके द्वारा अपेक्षित स्तर के नीचे की है, या

(ख) ऐसे पशु-चिकित्सा संस्था या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय या अन्य संस्था में कर्मचारिवृंद, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण और शिक्षण तथा प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं, परिषद् द्वारा विहित स्तर के अनुरूप नहीं हैं,

तो परिषद् उस आशय का अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार को करेगी ।

(2) ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार उसे राज्य की राज्य सरकार को भेज सकेगी जिसमें वह पशु-चिकित्सा संस्था स्थित है और वह राज्य सरकार उसे ऐसे टिप्पणों सहित जो वह करे उस पशु-चिकित्सा संस्था को, उस कालावधि की प्रज्ञापना सहित जिसके भीतर वह संस्था राज्य सरकार को अपना स्पष्टीकरण दे सकेगी, भेजेगी ।

(3) स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर या जहां नियत कालावधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण न दिया जाए वहां उस कालावधि के अवसान पर, राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अपनी सिफारिश करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि समुचित अनुसूची में उक्त पशु-चिकित्सा अर्हता के संबंध में ऐसी प्रविष्टि की जाए जो यह घोषित करे कि यथास्थिति, वह मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता तब ही होगी, जब वह निर्दिष्ट तारीख से पूर्व अनुदत्त की जाए अथवा यह कि यदि उक्त पशु-चिकित्सा अर्हता किसी पशु-चिकित्सा संस्था से संबद्ध किसी विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था के विद्यार्थियों को अनुदत्त की जाए, तो वह मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता तब ही होगी जब वह विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व अनुदत्त की जाए, या यह कि उक्त पशु-चिकित्सा अर्हता किसी पशु-चिकित्सा संस्था से संबद्ध विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था के संबंध में मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता तब ही होगी जब वह विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत की जाए :

परंतु यह कि ऐसी अधिसूचना जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से परामर्श करेगी ।"

37. उक्त धारा के अनुसार, मान्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस ली जा सकती है :–

(i) यदि किसी पशु-चिकित्सा संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुरूप नहीं है या उसके द्वारा अपेक्षित स्तर के नीचे की है, या

(ii) यदि ऐसे पशु-चिकित्सा संस्था या उससे संबद्ध किसी

महाविद्यालय या अन्य संस्था में कर्मचारिवृंद, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण और शिक्षण तथा प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं, परिषद् द्वारा विहित स्तर के अनुरूप नहीं है ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, पशु-चिकित्सा परिषद् इस आशय का अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार को कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार धारा 21 के अधीन विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात्, जिसमें जांच भी सम्मिलित है, धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन यह निदेश देते हुए राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्त है कि समुचित अनुसूची में उक्त पशु-चिकित्सा अर्हता के संबंध में ऐसी प्रविष्टि की जाए जो यह घोषित करे कि वह मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता तब ही होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व अनुदत्त की जाए अथवा यह कि यदि उक्त पशु-चिकित्सा अर्हता किसी पशु-चिकित्सा संस्था से संबद्ध किसी विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था के छात्रों को अनुदत्त की जाए, तो वह मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता, यथास्थिति, तब ही होगी जब वह विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व अनुदत्त की जाए या यह कि उक्त पशु-चिकित्सा अर्हता किसी पशु-चिकित्सा संस्था से संबद्ध विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था के संबंध में मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा तब ही होगी जब वह विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाए ।

38. यद्यपि धारा 21 के शीर्षक से 'मान्यता का वापस लिया जाना' दर्शित होता है और कोई भी यह कह सकता है कि यह बात विनिर्दिष्ट नहीं है कि पशु-चिकित्सा संस्था से संबद्ध महाविद्यालय या संस्था को केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किया जाना चाहिए, किंतु धारा 21 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 15 में केन्द्रीय सरकार को समुचित अनुसूची (पहली अनुसूची) में यह घोषित करते हुए प्रविष्टि करने के लिए सशक्त किया गया है कि किसी पशु-चिकित्सा संस्था (विश्वविद्यालय) से संबद्ध किसी विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था के छात्रों को अनुदत्त की गई पशु-चिकित्सा अर्हता तब ही मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व अनुदत्त की जाए अथवा यह कि उक्त पशु-चिकित्सा अर्हता विश्वविद्यालय से संबद्ध उक्त महाविद्यालय या संस्था के संबंध में मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता तब ही होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाए ।

39. धारा 21 को इसके पार्श्व टिप्पण (शीर्षक) 'मान्यता का वापस लिया जाना' की बात को विचार में लाए बिना पूर्णतम अर्थ लगाया जाना

चाहिए । पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम के उद्देश्य के कथन और प्रस्तावना की धारा 2(ङ), 2(ञ), धारा 15, 19 और 21 के साथ अर्थपूर्ण वाचन करने तथा विनियम, 1992 के विनियम 2(ग) के साथ पठित विनियम, 2008 के विनियम 2(ण) का उद्देश्यपरक अर्थान्वयन करने पर यह स्पष्ट है कि केवल वही पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, जो पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन की शिक्षा दे रहा है और जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री दी जाती है और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त है और पहली अनुसूची में दर्शाया गया है, पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक के पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए पात्र है ।

40. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों ने समरूपता दर्शित करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 को निर्दिष्ट किया । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 15 जो 'भारत में पशु-चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता' के संबंध में है, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 11 के समरूप है, जो निम्नलिखित रूप में है :–

> "19. भारत में विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता – (1) भारत में किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा अनुदत्त ऐसी चिकित्सा अर्हताएं जो पहली अनुसूची में सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी ।
>
> (2) भारत में का कोई विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था, जो ऐसी चिकित्सा अर्हता अनुदत्त करती है, पहली अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसी अर्हता को मान्यताप्राप्त कराने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची में संशोधन कर सकेगी, जिससे ऐसी अर्हता को उसमें सम्मिलित किया जा सके और ऐसी किसी अधिसूचना में यह निदेश भी दिया जा सकेगा कि पहली अनुसूची के अंतिम स्तंभ में ऐसी चिकित्सा अर्हता के सामने यह घोषणा करने वाली प्रविष्टि की जाएगी कि यह मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता केवल तब होगी जब उसे विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त किया जाए ।"

41. इसी प्रकार, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की

धारा 21 – 'मान्यता का वापस लिया जाना' भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 19 के समरूप है, जो नीचे उद्धृत की जाती है :–

"19. मान्यता का वापस लिया जाना – (1) जब समिति या परिदर्शक की रिपोर्ट पर परिषद् को यह प्रतीत होता है कि –

(क) किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुरूप नहीं है या उसके द्वारा अपेक्षित स्तर के नीचे की है, या

(ख) ऐसे विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय या अन्य संस्था में कर्मचारिवृंद, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण और शिक्षण तथा प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं, परिषद् द्वारा विहित स्तर के अनुरूप नहीं हैं,

तो परिषद् उस आशय का अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार को करेगी ।

(2) ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार उसे राज्य की राज्य सरकार को भेज सकेगी जिसमें वह विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था स्थित है और वह राज्य सरकार उसे ऐसे टिप्पणों सहित जो वह करे, उस विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था को, उस कालावधि की प्रज्ञापना सहित जिसके भीतर वह संस्था राज्य सरकार को अपना स्पष्टीकरण दे सकेगी, भेजेगी ।

(3) स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर या जहां नियत कालावधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण न दिया जाए वहां उस कालावधि के अवसान पर, राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अपनी सिफारिश करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि समुचित अनुसूची में उक्त चिकित्सा अर्हता के संबंध में ऐसी प्रविष्टि की जाए जो यह घोषित करे कि वह मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता तब ही होगी, जब वह निर्दिष्ट तारीख से पूर्व अनुदत्त की जाए अथवा यह कि यदि उक्त चिकित्सा अर्हता किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था के विद्यार्थियों को अनुदत्त की जाए, तो वह मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता तब ही

होगी जब वह विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व अनुदत्त की जाए, या यथास्थिति, यह कि उक्त चिकित्सा अर्हता किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था के संबंध में मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता तब ही होगी जब वह विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाए ।"

42. भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों को दृष्टिगत करते हुए, जब केन्द्रीय सरकार ने पहली अनुसूची को अधिसूचित किया, तो मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के साथ-साथ महाविद्यालयों को संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालयों दोनों के नाम उन अर्हताओं के साथ जो मान्यताप्राप्त हैं इस अनुसूची में दर्शाए गए हैं । भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची के सुसंगत उद्धरण से यह स्पष्ट है, जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है :–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	राज्य	चिकित्सा महाविद्यालय/ संस्था का नाम	विश्व-विद्यालय का नाम	महा-विद्यालय का प्रबंधन	महा-विद्यालय आरंभ होने का वर्ष	वार्षिक सीटों की सं.	भारतीय चिकित्सा परिषद् की मान्यता की प्रास्थिति
1.	एनेसथेसिया में डिप्लोमा	राजस्थान	आर. एन. टी. चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्व-विद्यालय	राजकीय	1961	6	वर्ष 1981 को या पश्चात् से जब मान्यता अनुदत्त की गई
2.	एनेसथेसिया में डिप्लोमा	राजस्थान	सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्व-विद्यालय	राजकीय	1959	6	जुलाई, 1968 को या पश्चात् से जब मान्यता अनुदत्त की गई
3.	एनेसथेसिया में डिप्लोमा	राजस्थान	एस. एम. एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्या लय	राजकीय	1947	6	मान्यताप्राप्त
4.	बाल-चिकित्सा में डिप्लोमा	राजस्थान	आर. एन. टी. चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्व-विद्यालय	राजकीय	1961	3	दिसम्बर, 1981 को या पश्चात् से जब मान्यता अनुदत्त की गई
5.	बाल-चिकित्सा में डिप्लोमा	राजस्थान	सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्व-विद्यालय	राजकीय	1959	6	अप्रैल, 1969 को या पश्चात् से जब मान्यता अनुदत्त की गई

43. अतः, ऊपर चर्चा किए गए उपबंधों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक के पाठ्यक्रम की शिक्षा देने वाले किसी 'पशु-चिकित्सा महाविद्यालय' के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची के अधीन केन्द्रीय सरकार से मान्यताप्राप्त करना आज्ञापक है ।

44. द्वितीय प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए, वर्तमान मामले के तथ्यों का उल्लेख करना वांछनीय है । अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय दोनों को खोले जाने के लिए राजस्थान राज्य द्वारा अनुज्ञा दी गई थी और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध थे । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् की निरीक्षण समिति ने समय-समय पर अपोलो महाविद्यालय का निरीक्षण किया और समिति ने निरीक्षण रिपोर्ट, 2003 द्वारा छात्रों के दाखिले की सिफारिश भवन की कतिपय कमियों को दूर करने की शर्त के अधीन की, क्योंकि महाविद्यालय एक किराए के भवन में खोला गया था । केन्द्रीय सरकार ने तारीख 26 सितम्बर, 2003 द्वारा कृषि विश्वविद्यालय को सूचित किया कि वह अपोलो महाविद्यालय को न्यूनतम अपेक्षाएं पूर्ण करने का अनुरोध करे । यद्यपि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा तारीख 12 मई, 2005 और 20 मई, 2005 को समाचार-पत्रों में यह सूचित करते हुए लोक सूचना जारी की गई कि अपोलो महाविद्यालय के छात्रों की पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की अर्हता मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता नहीं है, तो भी भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 22 नवम्बर, 2005 के पत्र द्वारा अपोलो महाविद्यालय में छात्रों को दाखिला देने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया । उसके पश्चात् भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् के निरीक्षकों द्वारा तारीख 22 और 24 जनवरी, 2007 को अपोलो महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया और उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा यह सूचित किया कि अपोलो महाविद्यालय भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा अपेक्षित सन्नियमों और शर्तों का पालन कर रहा है । उसके पश्चात् कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् प्रतिनिधियों के बीच तारीख 2 फरवरी, 2008 को हुई बैठक के अनुसरण में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा तारीख 10 मार्च, 2008 को अपोलो महाविद्यालय के छात्रों के प्रथम बैच की बाबत पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की डिग्री को अनंतिम मान्यता देने का विनिश्चय किया गया । छात्रों के द्वितीय बैच के संबंध में, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख

27 फरवरी, 2009 को केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि अपोलो महाविद्यालय के वर्ष 2004 में दाखिल हुए छात्रों के द्वितीय बैच की अर्हता को मान्यता देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए । इसी प्रकार का पत्र तृतीय बैच के उन छात्रों के संबंध में जारी किया गया जिन्हें दिसम्बर, 2004 में दाखिला दिया गया था । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने तारीख 24 जुलाई, 2009 को कृषि विश्वविद्यालय को भी सूचित किया कि अपोलो महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2009-2010 के लिए छात्रों का दाखिला कर सकता है । भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुदत्त की गई ऐसी मान्यता और शैक्षणिक सत्र 2009-2010 के लिए छात्रों को दाखिला देने के लिए अनुदत्त की गई अनुज्ञा को दृष्टिगत करते हुए अपोलो महाविद्यालय में छात्रों को दाखिला दिया गया ।

45. यह विवादग्रस्त नहीं है कि अपोलो महाविद्यालय में छात्रों को राजस्थान प्री-मेडीकल/राजस्थान प्री-वैटरीनरी (आरपीएम/आरपीवी) खुली प्रवेश परीक्षा के अनुसरण में दाखिला दिया गया था । उन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया और पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की । वे छात्र, जो अपोलो महाविद्यालय से पहले उत्तीर्ण होकर गए हैं, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की बुनियादी डिग्री के धारक हैं, जोकि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में प्रविष्ट मान्यताप्राप्त अर्हता है । यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि ऐसे बहुत से छात्र जो पहले उत्तीर्ण होकर गए हैं, सरकारी या प्राइवेट सेवा में हैं । वह एकमात्र आधार जिस पर अपोलो महाविद्यालय के उन छात्रों को, जो पहले ही पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करके गए हैं, भिन्न समझा गया है यह है कि केन्द्रीय सरकार ने अपोलो महाविद्यालय को अधिसूचित नहीं किया है और तद्द्वारा इसे भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर संविधि द्वारा सम्यक् रूप से स्थापित विश्वविद्यालय है और यह परीक्षाओं का संचालन करने और पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री देने के लिए पूर्णतः सक्षम है । इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री को भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में ऐसी डिग्री के रूप में सम्मिलित किया गया है जो भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, जोकि संविधि द्वारा स्थापित सर्वोपरि

व्यावसायिक निकाय है, द्वारा पूर्णतः मान्यताप्राप्त है और जिसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त पशु-चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता देने का प्राधिकार है ।

46. हमारी राय में, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित करके स्पष्ट गलती की है कि चूंकि छात्रों के पास पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक की जो डिग्री है वह ऐसी नहीं है जिसे किसी मान्यताप्राप्त महाविद्यालय से अभिप्राप्त किया गया हो और इसे भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1992 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन और अन्य प्रयोजन के लिए एक विधिमान्य अर्हता समझा जा सके ।

47. महात्मा गांधी महाविद्यालय के छात्रों के संबंध में भी ऐसी ही स्थिति है । वास्तव में, निरीक्षण समिति द्वारा प्रत्येक बार अनुकूल रिपोर्ट दी गई और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने महाविद्यालय को छात्रों को दाखिला देने के लिए अनुज्ञात किया तथा केन्द्रीय सरकार को पहली अनुसूची में महाविद्यालय के नाम की प्रविष्टि करके संशोधन करने की सिफारिश की । जब इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर गए छात्रों ने महात्मा गांधी महाविद्यालय को पहली अनुसूची में सम्मिलित करते हुए समुचित अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निदेश देने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष समावेदन किया तो पशु-चिकित्सा परिषद् ने अपनी सिफारिश वापस ले ली । हमने अपोलो महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर गए छात्रों के संबंध में जो मत व्यक्त किया है, वह उन छात्रों के बारे में भी समान रूप से लागू होता है जो महात्मा गांधी महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर गए हैं ।

48. वास्तव में, पश्चात्वर्ती कवायद से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह दर्शित होता है कि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने केन्द्रीय सरकार से अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय को मान्यता देने के लिए पुनः सिफारिश की है और केन्द्रीय सरकार ने पहले ही कतिपय प्रश्न उठाए हैं ।

49. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ को उन छात्रों, जो पहले ही केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से संबद्ध अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर गए हैं, के संबंध में केन्द्रीय सरकार को भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली

अनुसूची में अपोलो महाविद्यालय के संबंध में तारीख 11 जुलाई, 2011 को या इससे पूर्व और महात्मा गांधी महाविद्यालय की बाबत तारीख 8 दिसम्बर, 2011 या इससे पूर्व की पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक डिग्री की मान्यता के प्रयोजन के लिए समुचित संशोधन करने का निदेश देते हुए एक संभव विधिक हल देना चाहिए था ताकि अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय को पहली अनुसूची में सम्मिलित किया जा सके । हम तद्नुसार निदेश देते हैं । जहां तक उन अन्य छात्रों का संबंध है, जो अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय में दाखिल किए गए हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, केन्द्रीय सरकार को निदेश दिया जाता है कि वह भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् से एक नई रिपोर्ट मंगाए और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 21(4) के साथ पठित धारा 15(2) के अधीन समुचित आदेश पारित करे । यदि अपोलो महाविद्यालय और महात्मा गांधी महाविद्यालय को उस तारीख से परे, जैसा कि ऊपर आदेश किया गया है, मान्यता देना संभव नहीं है तो भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् को निदेश दिया जाता है कि वह छात्रों को पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन में स्नातक के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए उनके संगत वर्ष के हिसाब से किन्हीं अन्य मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों में स्थानांतरित करें ।

50. पूर्वोक्त कारणों से, हम राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर की खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 17 नवम्बर, 2011 को पारित किए गए निर्णय और आदेश तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 23 दिसम्बर, 2011 को पारित किए गए निर्णय और आदेश तथा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् को उनके रजिस्टर से डाक्टरों के नामों को हटाने का निदेश देते हुए जारी किए गए पत्रों को अपास्त करते हैं । ये अपीलें उपर्युक्त मताभिव्यक्तियों और निदेशों के साथ मंजूर की जाती हैं । मध्यक्षेप करने, मुकदमा चलाने और नाम हटाने के लिए अंतर्वर्ती आवेदनों का ऊपर अभिलिखित निष्कर्ष को दृष्टिगत करते हुए निपटारा किया जाता है । खर्चे के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

———————